न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी

वाद सं0 M 32/2018

धारा 144 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत

नन्द किशोर सोमानी वगैरह बनाम् ***राजेश चौधरी वगैरह***

आदेश

10.5.18

यह वाद प्रथम पक्ष नन्द किशोर सोमानी, राजकिशोर निवास, ग्राम मुरहू, थाना मुरहू जिला खूँटी द्वारा द्वितीय पक्ष राजेश चौधरी, पिता प्रयाग लाल चौधरी, ग्राम मुरहू, थाना मुरहू, जिला खूँटी के द्वारा उनके माता के नाम क्रय जमीन पर गंभीर शांतिभंग होने की संभावना का आवेदन थाना प्रभारी मुरहू को करने पर थाना प्रभारी मुरहू के जांच प्रतिवेदन पर विवादी जमीन पर अशांति भंग होने की प्रतिवेदन पर द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत् कार्यवाही प्रारंभ किया गया।

विवादी भूमि का विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा	**थाना नं0**	**खाता नं0**	**प्लॉट नं0**	**रकबा (एकड़ में)**
		78	982	जमा रकबा 0.5½ मद्धे रकबा 0.3

उभय पक्षों को नोटिश निर्गत कर विवादी भूमि पर कारण पृच्छा एवं कागजात दाखिल करने का निदेश दिया गया।

प्रथम पक्ष विवादित जमीन को अपने माँ के नाम से निबंधित केवाला से क्रय कर अंचल मुरहू में नामांतरण कराकर शांतिपूर्ण दखलकार बनने एवं नियमित लगान देने एवं द्वितीय पक्ष द्वारा पक्ष बनावटी निबंधित केवाला प्रस्तुत करने का पक्ष प्रस्तुत करते हुए बराबर उनको गाली–गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए द्वितीय पक्ष को इस भूमि पर जाने से रोकने एवं उनके पक्ष में धारा 144 की कार्यवाही को मुक्त करने का निवेदन करते हैं। द्वितीय पक्ष द्वारा इस वाद को न्यायालय में चलने योग्य नहीं बताया है, जिसे द्वितीय पक्ष को परेशान करने के नीयत से दायर किया गया है। द्वितीय पक्ष विवादग्रस्त जमीन में दावा स्वरुप निबंधित केवाला का छाया प्रति एवं अंचल कार्यालय, मुरहू में नामांतरण होने का शुद्धिपत्र एवं नियमित लगान अदा करने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने पक्षकारों के दावा को संपुष्ट करने के पक्ष में प्रस्तुत किये। प्रथम पक्ष का कहना है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा क्रय संबंधी केवाला को बनावटी बताया गया है एवं हमेशा मारपीट, अशलील गाली–गलौज करने का आरोप लगाया गया है।

उभय पक्षों के द्वारा दाखिल किये गये कारण पृच्छा भूमि में दावा संबंधी दस्तावेज एवं विज्ञ अधिवक्ताओं के बहस एवं अभिलेख में संलग्न प्रतिवेदनों के आधार पर तकरारी जमीन के खतियानी रैयत से हस्तांतरित होकर क्रय कर कायम जमाबंदी रैयतों/पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर से विभिन्न तिथियों में केवाला दर्शाये गये भूमि विवरणी का निष्पादन कराया गया है। उभय पक्ष निबंधित केवाला के अनुसार अंचल कार्यालय में नामांतरण कर नियमित दखलकार एवं सरकार को लगान अदा करने का

साक्ष्य दाखिल किये हैं। निबंधित केवाला बनावटी है या जायज है। इसका निर्णय इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। उभय पक्ष के द्वारा विवादी भूमि का निबंधित केवाला एवं लगान रसीद प्रस्तुत करना दर्शाता है कि उभय पक्षों के पास विवादग्रस्त भूमि का दस्तावेज है। उभय पक्ष संबंधित अंचल अमीन से निबंधित केवाला में दर्शाये गये भूमि विवरणी के आलोक में सीमांकन वाद दाखिल कर अपने हिस्से की भूमि को चिन्हितीकरण कर मामले का निष्पादन करायें।

उभय पक्षों को इस आशय का जानकारी देते हुए इस बार की कार्यवाही को बंद किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

10.5.18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
खूँटी

10.5.18

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
खूँटी